प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5285/2006

श्रीमती विभा सिंह ठाकुर

बनाम

सुखदेव (मृत) एवं अन्य

....

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री आनंद वर्मा सहित श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव,वरिष्ठ अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2, 3, 4, 6, 7 एवं 8 की ओर से श्री आनंद कुमार गुप्ता, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से श्री मलय कुमार भादुड़ी, अधिवक्ता।

अन्य उत्तरवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

....

आदेश

(दिनांक 02.03.2007 को पारित)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति,

(1) याचिकाकर्ता, जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी है, ने सिविल वाद क्रमांक 57-क/2005 में द्वितीय सिविल न्यायाधीश, श्रेणी-II, बिलासपुर द्वारा दिनांक 18.08.2006 को पारित आदेश की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्य को चुनौती दी है। उक्त आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने वादी/याचिकाकर्ता की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 के अंतर्गत प्रस्तुत स्थगन आवेदन को खारिज कर दिया, जब वाद वादी के साक्ष्य हेतु नियत था।

(2) संक्षेप में आवश्यक तथ्य यह हैं कि वादी ने कुल 14 प्रतिवादियों के विरुद्ध अपने स्वत्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा कब्जा प्राप्त करने के लिए उक्त सिविल वाद प्रस्तुत किया था। यह वाद दिनांक 18.08.2006 को वादी के साक्ष्य हेतु नियत था। उस दिवस, वादी के अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह निवेदन किया गया कि वादी सी.एम.डी. कॉलेज, बिलासपुर में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और उसे उक्त तिथि के लिए अवकाश प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण न तो वादी और न ही उसके साक्षी न्यायालय में उपस्थित हो सके। अतः न्यायहित में एक और अवसर प्रदान किया जाए ताकि वादी इस प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। इस आवेदन का प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) विचारण न्यायालय ने अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत उक्त आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि पूर्व में भी तीन अवसरों पर—दिनांक 17.02.2006, 08.03.2006 एवं 25.03.2006—जब वाद साक्ष्य हेतु नियत था, वादी द्वारा स्थगन लिया जा चुका था। अतः दिनांक 18.08.2006 को चौथा स्थगन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में अधिकतम तीन स्थगन की ही अनुमति है। आवेदन को अस्वीकार करते समय, न्यायालय ने यह भी कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन उचित एवं सद्भावना से प्रेरित प्रतीत नहीं होता, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

4) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 के प्रावधान, जो हाल के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि निर्देशात्मक प्रकृति के हैं। अतः विचारण न्यायालय ने केवल उक्त प्रावधानों के आधार पर वादी को चौथा स्थगन देने से इंकार करके विधि में त्रुटि की है। उनका कहना है कि विचारण न्यायालय को इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपना विवेक लगाकर निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय के हित में यह अधिक उचित होता है कि न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों

का अंतिम रूप से निर्णय किया जाए, न कि विधि की तकनीकीताओं का सहारा लिया जाए, जिन्हें एक विशेष विधायी उद्देश्य से लागू किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने **सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, टी.एन. बनाम भारत संघ (2005) 6 एससीसी 344** के निर्णय का अवलंब लिया।

(5) इसके विपरीत, उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। उनका कहना है कि वादी बार-बार चूक करने वाली है, वह न्यायालय में उपस्थित होने की इच्छुक नहीं रही है, और पहले ही तीन बार स्थगन ले चुकी है। अतः विचारण न्यायालय ने वादी के साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त करते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करके उचित निर्णय लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(7) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII स्थगन से संबंधित है। नियम 1 के अनुसार न्यायालय समय प्रदान कर सकता है तथा सुनवाई को स्थगित कर सकता है। उप-नियम (1) यह भी प्रावधान करता है कि यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है, तो न्यायालय वाद की किसी भी अवस्था में पक्षकारों को समय दे सकता है और कारणों को लिखित रूप में अंकित करते हुए समय-समय पर सुनवाई स्थगित कर सकता है। इस उप-नियम में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अनुसार किसी भी पक्ष को वाद की सुनवाई के दौरान तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जाएंगे। आगे, उप-नियम (2) स्थगन के व्यय से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसे मामले में न्यायालय अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगा तथा स्थगन के कारण हुए व्यय या न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले अधिक खर्च के संबंध में आदेश पारित करेगा। उप-नियम (2) में भी कुछ उपबंध जोड़े गए हैं, जो स्थगन के विषय में मार्गदर्शन करते हैं। उपर्युक्त प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, (संशोधन) अधिनियम, जो दिनांक 01.07.2002 से प्रभावी हुआ, द्वारा संशोधित किए गए हैं।

(8) सलेम निर्णय के कंडिका 31 में, संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, तीन स्थगन दिए जाने के बाद भी स्थगन देना आवश्यक हो सकता है। न्यायालय ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि अंततः यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि स्थगन दिया जाए या नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि स्थगन देते समय व्यय एवं उच्च लागत का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि व्यवहार में केवल नाममात्र की लागत दी जाती थी। सामान्यतः, जहाँ लागत या उच्च लागत दी जाती है, वह वास्तविक होनी चाहिए और यथासंभव उस वास्तविक व्यय के अनुरूप होनी चाहिए जो दूसरे पक्ष को वहन करना पड़ा हो, विशेषकर तब जब स्थगन टाला जा सकता था, किन्तु किसी पक्ष की लापरवाही, साधारण दृष्टिकोण या कार्यवाही में विलंब करने के उद्देश्य से लिया गया हो। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से बचाने के लिए, उक्त प्रावधान की ऐसी व्याख्या आवश्यक है जिससे न्यायालय का विवेकाधिकार समाप्त न हो, विशेषकर अत्यंत कठिन मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि तीन स्थगनों की सीमा उन परिस्थितियों में लागू नहीं होगी जहाँ स्थगन ऐसे कारणों से आवश्यक हो जो पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हों। यहाँ तक कि उन मामलों में भी, जो सख्ती से “नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों” की श्रेणी में नहीं आते, न्यायालय अपने विवेक से उच्च अथवा दंडात्मक व्यय लगाकर, विशेष परिस्थितियों में, तीन से अधिक स्थगन दे सकता है, यदि स्थगन न देने से अन्याय होने की संभावना हो। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्थगन देना—चाहे वह प्रथम, द्वितीय या तृतीय ही क्यों न हो—किसी पक्ष का अधिकार नहीं है। स्थगन तभी दिया जा सकता है जब पक्षकार विशेष एवं असाधारण परिस्थितियाँ प्रदर्शित करे। इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए। साथ ही, स्थगन के आवेदन पर विचार करते समय, विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसका उद्देश्य अनावश्यक स्थगनों को सीमित करना है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 के उप-नियम (1), जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा संशोधित किया गया है, तथा सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, टी.एन. बनाम भारत संघ (2005) 6 SCC 344 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रावधान आज्ञापक नहीं हैं, जिससे न्यायालय की अधिकारिता को तीन से अधिक स्थगन देने से वंचित किया जा सके। विधि का सिद्धांत यह है कि स्थगन—चाहे वह प्रथम, द्वितीय या तृतीय ही क्यों न हो—न तो किसी पक्ष का अधिकार है और न ही इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से तीन से अधिक स्थगन देने के लिए, पक्षकार को विशेष एवं असाधारण परिस्थितियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, ताकि स्थगनों को सीमित करने के विधायी उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किसी भी मामले में, न्यायालय को पक्षकार द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार कर यह निर्णय लेना होता है कि स्थगन दिया जाना चाहिए या नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) वर्तमान प्रकरण में, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत स्थगन के आधारों पर कोई टिप्पणी नहीं की। वादी ने यह विशेष कारण प्रस्तुत किया था कि वह सी.एम.डी. कॉलेज, बिलासपुर में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है और जिस तिथि को वाद नियत था, उस दिन उसे अवकाश प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण वह तथा उसके साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। विचारण न्यायालय ने इस आधार पर कोई विचार नहीं किया और बिना अपने विवेक का प्रयोग किए, केवल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XVII नियम 1 के प्रावधानों पर निर्भर रहते हुए यह आदेश पारित कर दिया कि चूँकि वादी पूर्व में तीन बार स्थगन ले चुकी है, अतः उसे चौथा स्थगन नहीं दिया जा सकता तथा उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त किया जाता है। न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या वादी द्वारा प्रस्तुत कारण वास्तव में उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति में आता है या नहीं, और न ही इस पर विचार किया कि स्थगन न देने से पक्षकार को कोई अन्याय हो सकता है या नहीं। केवल प्रावधानों

के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया। इस न्यायालय के मत में, यह ऐसा प्रकरण है जिसमें वादी ने ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत की थी जो निश्चित रूप से उसके नियंत्रण से बाहर थी, और इन विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों में उसे एक और स्थगन दिया जाना उचित था। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि के अनुरूप नहीं है और इसे अपास्त किया जाना आवश्यक है।

(11) दोनों पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, इस न्यायालय के मत में यह उचित होगा कि इस प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी को अंतिम अवसर प्रदान किया जाए, कुछ शर्तों के अधीन। अतः, याचिका स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित आदेश निम्नलिखित शर्तों के साथ अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) याचिकाकर्ता/वादी अपने सभी साक्षियों एवं साक्ष्यों को अपने जोखिम पर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि पर प्रस्तुत करेगी, जो कि उस प्रथम नियत तिथि से डेढ़ माह (1½ माह) से अधिक नहीं होगी, जिस पर वाद पहले से निर्धारित है।

(ii) यदि उक्त तिथि पर वादी का साक्ष्य पूर्ण नहीं होता है, तो प्रकरण को अगले दिन के लिए स्थगित किया जाएगा और तत्पश्चात दैनिक आधार पर कार्यवाही करते हुए साक्ष्य को पूर्ण किया जाएगा।

(iii) उपर्युक्त आदेश इस शर्त के अधीन होगा कि वादी द्वारा 2000/- (रुपये दो हजार) की लागत प्रतिवादी पक्ष को अदा/जमा की जाएगी, जो उसके साक्ष्य प्रारंभ होने से पूर्व दी जानी आवश्यक होगी।

(12) उपर्युक्त निर्देशों के साथ यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur